

कार्यवाही विवरण

आदेश

15/3/22

8/3/2022 पत्रावली पेश हुई (बकुलाच उपस्थित) पत्रावली
 उपस्थित व प्रमाण/समाप्त रिपोर्ट पेश की। स्वयं प्रमाण
 पर नभिय ही गरी पत्रावली वैसे कोसय देतु रिपोर्ट
 लोड कराना रिपोर्ट 15/3/2022 को प्राये
 अथवा

15-3-22

पत्रावली पेश हुई (बकुलाच उपस्थित) पत्रावली
 का अज्ञातपूर्वक अवलोकन किया गया एवं बहस पर
 प्रमाण किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी वकील ने
 आवेदन पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी
 की माता का नाम आवेदन पत्र में उल्लिखित भूमि के
 राजस्व रिकार्ड में सेतु देवी, जेठुरी देवी के बजाय
 सेतु देवी दुलस्त किये जाने का निवेदन किया।
 प्रार्थी ने जांच रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया
 तथा कथन किया कि ग्राम पंचायत चबरा के प्रमाण-
 पत्र, मूल प्रमाण-पत्र, सेतु देवी के पुत्र प्राप्त किये
 गये अपिथ-पत्र एवं माता जांच के पुनर्बिक सेतु देवी
 देवी के बजाय सेतु देवी शुरू किया जाना उचित है।
 पत्रावली, जलजल दस्तावेज एवं जांच रिपोर्ट का
 अवलोकन किया गया एवं बहस पर प्रमाण किया गया।
 आवेदन पत्र में उल्लिखित भूमि में प्रार्थी की माता का नाम
 सेतु देवी, जेठुरी देवी के बजाय सेतु देवी दुलस्त
 किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

नोट

प्रार्थी का आवेदन पत्र अ.सं. 136 LRA 67 स्विकार
 किया जाता है तथा ग्राम चबरा के भूमि जात्रा लि.
 नं. 53, 291, 289 में प्रार्थी की माता नाम सेतु देवी
 के बजाय सेतु देवी तथा ग्राम हीरबाना परवार हल्का
 मैनपुरा के खाता नं. 64, 74 में प्रार्थी की
 माता नाम सेतु देवी के बजाय सेतु देवी दुलस्त
 किया जाता है। शेष जात्रा प्रमाण-पत्र (सं. 15/3/22)
 तहसीलदार उदयपुरवारी/गुवा गौड़जी राजस्व रिकार्ड
 में दुरुस्ती करे। पत्रावली फौजदारी नं. 15/3/22
 में क्रम है तथा दाखिलदस्ता है। अथवा



15/3/22